न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या 279/2018

प्रार्थीगण

1 कुताराम पुत्र लिमाराम जाति घांची निवासी—बेरा ढीमडी, धिनावास रोड़, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला — पाली (राज0)

अप्रार्थीगण

1 विरदाराम पुत्र शंकरलाल
2 प्रकाश पुत्र ढगलाराम
3 गवरी देवी पत्नि ढगलाराम
4 राणाराम पुत्र सूराराम
5 नेमाराम पुत्र सूराराम
6 कमला देवी पत्नी सूराराम
7 कैली देवी पुत्री सूराराम पत्नी चन्द्राराम निवासी—चौधरीयों का बास, सोजतसिटी।
8 शांती देवी पुत्री सूराराम पत्नी नथाराम, निवासी—घांचीयो की बडी हवाई, सोजतसिटी।
9 इन्द्रा देवी पुत्री सूराराम पत्नी सुरेश चन्द्र
10 नेमा देवी उर्फ मीमा पुत्री मिश्राराम पत्नी अमराराम निवासी बेरा नोक, पचोल की नाड़ी के आगे, सोजतसिटी
11 सोणी देवी पुत्री मिश्राराम पत्नी संतोष, निवासी—पाली दरवाजा के बाहर, सोजतसिटी
12 धनकी पत्नी मांगीलाल
13 रेखा पुत्री मांगीलाल पत्नी महेन्द्र भाटी, निवासी—बड़ा खुरगिया का बास, सोजतसिटी
14 संगीता पुत्री मांगीलाल पत्नी रमेश भाटी, निवासी— बेरा अडूणीया, धीनावास रोड, सोजत
15 सुगणा पुत्री मांगीलाल पत्नी रमेश बौराणा, निवासी— बिलाडीया दरवाजा के बाहर, सोजतसिटी
16 काजल पुत्री मांगीलाल
17 पिंकी पुत्री मांगीलाल
18 पूजा पुत्री मांगीलाल
19 मनीषा पुत्री मांगीलाल
20 सरस्वती पुत्री मांगीलाल
21 दिव्या पुत्री मांगीलाल
22 कमलेश पुत्र मांगीलाल
23 प्रवीण पुत्र मांगीलाल, जाति—घांची, निवासी—सोजतसिटी, तहसील—सोजत, जिला पाली, राज0 अप्रार्थी संख्या 17 से 23 अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता—धनकी (अप्रार्थी सं0 12)
24 सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थितिः—

1. **श्री गोरादान आशिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण उपस्थित।**
2. **श्री भवानीसिंह जैतावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण उपस्थित।**

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

दिनांक 12.11.2018

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने मुझ प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थी संख्या 2 से 24 के विरूद्व एक राजस्व वाद संख्या 111/2012 वादीगण विरदाराम विरूद्व प्रतिवादीगण कुताराम व अन्य के विरूद्व संस्थित किया, जिसमें प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 24 मूल राजस्व वाद में प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के रूप में संयोजीत है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री गोरादान आशिया दिनांक 14/05/2018 से दिनांक 25/05/2018 तक तिर्थाटन हेतु उतराखंण्ड की यात्रा पर रहे थे। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने इस वाद में उनकी ओर से उपस्थित रहने हेतु अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद चौहान को अधिकार पत्र देकर गए थे। मूल राजस्व वाद संख्या 111/2012 की सुनवाई दिनांक 16/05/2018 के लिए नियत थी, उस दिन अधिवक्ता भगवती प्रसाद का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण वह माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो सके थे। दिनांक 16/05/2018 के पश्चात् मूल वाद में आगामी पेशी 23/05/2018 नियत की गई, जिसका ज्ञान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद को नही था तथा उसी दिनांक 23/05/2018 प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय की जाकर उसी दिन निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई थी। तिर्थाटन से दिनांक 25/05/2018 को मुझ प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता वापस सोजत आए तब दिनांक 30/05/2018 को जिस दिन राजस्व शिविर का आयोजन नही था। उस दिन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 को यह जानकारी प्राप्त हुई कि राजस्व वाद का निर्णय हो गया है तब दिनांक 31/05/2018 को निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उनके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 23/05/2018 को प्रतिवादी संख्यां 1 के विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय करने का आदेश दिया गया था तथा उसी दिन प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विभाजन प्रस्ताव के विरूद्व की गई आपत्ति को भी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया तथा उसी दिन प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय रूप से निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित कर भारी विधिक भूल की है। मूल राजस्व वाद की सुनवाई की दिनांक 16/05/2018 एवं दिनांक 23/05/2018 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित न होने के संबंध में पर्याप्त व उचित कारण विद्यमान है। यदि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय किये जाने के आदेश दिनांकित 23/05/2018 व निर्णय डिक्री दिनांक 23.05.2018 को अपास्त नहीं किया गया तो प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 जो एक गरीब व वृद्व किसान है, को भारी क्षति होगी तथा वह न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः न्यायहित में एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांकित 23/05/2018 एवं निर्णय अन्तिम डिक्री दिनांकित 23/05/2018 को अपास्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी (प्रति0 सं0 1) ने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि न्यायहित में मुझ प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांकित 23/05/2018 एवं निर्णय तथा डिक्री दिनांकित 23/05/2016 को अपास्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 02/07/2018 को मुकरर्र की गई। दिनांक 27/06/2018 को अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई का पेश करने पर पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री गोरादान आशिया उपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 की ओर से मूल

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

द में अधिवक्ता है, स्वयं उपस्थित है तथा अप्रार्थी सं0 4 से 9 की ओर से श्री राजाराम प्रजापति अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जारी नोटिसेज तामिली रिपोर्टस प्रस्तुत हुई, सामिल मिसल किया गया । पत्रावली मुकर्रर तारीख पेशी दिनांक 02.07.2018 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण दिनांक 02.07.2018 को उपस्थित तथा रजि0एडी0 से अप्रार्थी सं0 2 की तलब के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण सं0 1, 3 व 4 की ओर से नोटिसेज बावजूद तामिली/सूचना हो जाने से भवानीसिंह उपस्थित है। दिगर अप्रार्थीगण को पुनः नोटिसेज जारी किये जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 18.07.2018 मुकर्रर हुई। उक्त तारीख पेशी को अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित अप्रार्थीगण को जारी नोटिसेज तमिली एवं रजि0एडी0 की प्राप्ति रसीद संलग्न पत्रावली होकर पत्रावली आयन्दा दिनाक 17.07.2018 को मुकर्रर की गई। उक्तानुसार जारी नोटिसेज तथा रजि0एडी0 तामिली रिपोर्टस एवं प्राप्ति रसीद सामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण संख्या 12 एवं 17 से 23 नाबालिक की ओर से माता धनकी की ओर से श्री सुरेन्द्र सान्दू व राजाराम प्रजापति ने वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। दिनांक 23.07.2018 अप्रार्थीगण सं0 10, 11, 13 से 16 की ओर से श्री सुरेन्द्र सांदू ने तथा श्री राजाराम प्रजापति ने वकालतनामा पेश किया तथा अधिवक्ता श्री भवानीसिंह जेतावत व श्री राजाराम प्रजापति दिगर अप्रार्थीगण की ओर से व प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित हुए, जवाब अप्रार्थीगण 1 व 3 का पेश किया, की प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलाई गई, सामिल मिसल है।

अधिवक्ता प्रार्थी (प्रति सं0 1) ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 4 नियम 5 सहपठित माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में जो निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की है वह अपीलनीय है तथा प्रतिवादी सं0 1 इस निर्णय व अन्तिम डिक्री को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में चुनौती देना चाहता हैं। न्यायहित में निर्णय व अन्तिम डिक्री की पालना व प्रभाव को अपील हेतु विहित परिसीमाकाल तक रोका जाना आवश्यक है। यदि निर्णय व डिक्री की पालना व प्रभाव को रोका नहीं गया तो प्रतिवादी सं0 1 को सारवान हानि होगी, क्योंकि वादी झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है तथा वह प्रतिवादी सं0 1 के अधिपत्य में बलपूर्वक व्यवधान कारित करेगा, जिससे पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी बढेगी व प्रतिवादी सं0 1 को भारी आर्थिक क्षति होगी। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रति0 सं0 1) ने उक्त प्रा0 पत्र पेश कर न्यायहित में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित की पालना व प्रभाव को अपील के लिए विहित परिसीमाकाल तक स्थगित किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसे सामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दिनांक 23.07.2018 को फहरिश्त मय शपथ–पत्र पेश किया, सामिल मिसल किया गया। दिनांक 23.07.2018 को अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 सही होने से स्वीकार किया तथा पद संख्या 2 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया हैं। क्योकि प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह लिखा कि मैं गौरादान आशिया दिनांक 14/05/2018 से 25/05/2018 तक तीर्थाटन हेतु उतराखण्ड की यात्रा पर था, इसकी जानकारी तीर्थयात्रा पर जाने से पूर्व न्यायालय में किसी प्रकार की कोई लिखित में सूचना नही थी, न ही प्रार्थी कुताराम उक्त दोनों पेशी पर उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के बारे में बताया था, और न ही कोई गोरादान आशिया की ओर से कोई अधिवक्ता दिनांक 16 व 23.05.2018 उपस्थित रहा था। यदि प्रार्थी के अधिवक्ता को तीर्थयात्रा पर बाहर जाना ही था तो अपने पक्षकार प्रार्थी कुताराम को पेशी के बारे में सूचित कर पेशी पर उपस्थित होने बाबत स्पष्ट हिदायत देते कि आपको हर हालत में पेशी पर उपस्थित होना है, क्योकि मैं तीर्थयात्रा पर बाहर जा रहा था, जो सूचना प्रार्थी के अधिवक्ताप्रार्थी को नहीं दी, जो बहुत भारी कानूनी भूल है तथा प्रत्येक पेशी पर पक्षकार एवं उसके अधिवक्ता को उपस्थित होना आवश्यक है। इसके बावजूद भी न तो पक्षकार और न ही पक्षकार के अधिवक्ता पेशी पर उपस्थित हुए है। पक्षकार कुताराम द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कही पर भी नही लिखा है कि मैं न्यायालय में इस कारण से उपस्थित नहीं हुआ हूं तो अपने अधिवक्ता के उपस्थित होने का शपथ पत्र प्रार्थी कुताराम द्वारा दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

होता है तथा प्रार्थी कुताराम के अधिवक्ता गोरादान आशिया यात्रा पर जाने बावत या अपनी जगह भगवती प्रसाद को बतौर अधिवक्ता के उपस्थित होने बावत कोई शपथ पत्र उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नही पेश किया है। अधिवक्ता ने अपनी ओर से उपस्थित होने बावत कौनसा अधिकार पत्र दिया था, जिसकी प्रति भी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नही की है। दिनांक 16.05.2018 को पेशी के दिन अधिवक्ता भगवती प्रसाद का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही रहा, इस बारे में भी अधिवक्ता का कोई मेडिकल प्रमाण पत्र या बीमार होने के समर्थन में शपथ पत्र उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही किया, जिससे भी यह कारण मानने योग्य नहीं हैं। यदि किसी कारणवश भगवतीप्रसाद दिनांक 16.05.2018 को पेशी पर उपस्थित होने में असमर्थ भी रहा हो तो उसकी यदि जिम्मेदारी थी कि स्वयं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे दिन के बीच में कभी भी न्यायालय में उपस्थित होकर पेशी की जानकारी प्राप्त करता और दिनांक 23.05.2018 को स्वयं हाजिर होता, जो उसने बतौर अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी पुरी नही की, जिससे भी एक तरफा कार्यवाही निरस्त योग्य नही है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखा गया कि दिनांक 25.05.2018 को मैं तीर्थयात्रा से वापस आया और दिनांक 30.05.2018 को राजस्व शिविर का आयोजन नही होने से मुझे उक्त निर्णय की जानकारी होने पर दिनांक 31.05.2018 को प्रति प्राप्त की। मुझे जानकारी हुई कि प्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश किया गया तथा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 अपनी सम्यक प्रतिरक्षा नही कर सका तथा माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में अवयस्क प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त वाद में प्रत्येक पेशी पर प्रार्थी कुताराम की ओर से अपने अधिवक्ता द्वारा पूर्ण रूप से पैरवी की गई। अधिवक्ता प्रार्थी को प्रतिरक्षा के कई बार अवसर दिया गया था। जबकि न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारान को सुनने का पूर्ण रूप से बार–बार अवसर दिया गया और दोनो पक्षकारान ने अपने अपने ओर से अच्छी तरह से पैरवी की, तत्पश्चात विधिवत रूप से निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं रही है और न ही कोई विधिक भूल रही है। वादी द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित कृषि भूमि का बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था, जो वाद दर्ज कर सभी प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से न्यायालय द्वारा तामिल करवायी गयी थी। तत्पश्चात सभी प्रतिवादीगण ने अपना अपना जवाबदावा व प्रतिदावा पेश किया था, तत्पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार साहब सोजत द्वारा मौके पर जाकर दोनो पक्षकारान को सूचित कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में एवं उनकी सहमति से सबकी सुविधा के अनुसार अपना अपना एक चक हिस्सा प्राप्त करने के उद्येश्य से बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया था। जिस पर भी प्रतिवादी संख्या 1 कुताराम की तरफ से विभाजन प्रस्ताव पर आपति प्रस्तुत की गई थी, उस आपति को एक हजार रूपये की कोष्ट पर स्वीकार करते हुए पुनः तहसीलदार साहब सोजत को प्राथमिक डिक्री की पालना में नया प्रस्ताव या विभाजन हेतु आदेशित किया गया था। जिसकी पालना में पुनः तहसीलदार सोजत द्वारा दोनों पक्षों को सूचित करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान के समक्ष पेश किया था, जिस पर भी प्रतिवादी संख्या 1 कुताराम द्वारा एतराज पेश किया था, उसकी भी पालना की गई थी। उसके बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 कुताराम द्वारा और आपति पेश की गई थी, उसका भी निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा किया गया था। यानि बार बार उक्त वाद में जहां भी प्रतिावादी संख्या 1 कुताराम को एतराज था, उसकी बार बार आपतियां दर्ज कर सुनवाई कर निस्तारण किया गया तथा ऐसा कोई बिन्दु की सुनवाई से शेष नहीं रहा जिसकी सुनवाई किया जाना शेष हो। वाद में जो भी एतराज कुताराम को था, वह पेश किया और उसका विधिक भी रूप से निस्तारण किया गया तो न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया जिससे अब कोई आपति कुताराम की शेष नही रह जाती है, जिसको सुना जाना या निस्तारण किया जाना बाकी हो। क्योकि प्राथमिक डिक्री व विभाजन प्रस्ताव व उस पर आपतियां को करके विधिवत रूप से सुनवाई का निस्तारण किया गया, ऐसी स्थिति में अब किसी प्रकार की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 की सुनवाई किया जाना शेष नहीं है। जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधिवत रूप से पारित किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा एवं प्रतिदावा पेश किया था, तथा जवाबदावा प्रतिदावा में अपनी प्रतिरक्षा का लिखित में कथन किया था और उसमें भी बंटवाड़ा करने की बात स्वीकार की थी, तथा प्रतिदावा में उज्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिये गये थे, जिसमें खसरा नंम्बर 3067 में अपने खर्चे से दो टयूबेल खुदवाने, दोनो पर विधुत कनेक्शन लेने, मोटरे लगवाने व 15–16 वीघा जमीन के चारों तरफ पटटीयां लगाकर, पाईप लगाने, हौद व अवाला बनाने व जमीन पर 500 ट्रोली मिटठी डलवाने एवं दो ट्रक जिप्सम डलवाने एवं उक्त कृषि भूमि को विकसित करने के लिए करीब 20 लाख रूपये का खर्चा किया गया। यदि यह सारी चीजे प्रतिदावे में ली तो प्रतिवादी संख्या 1 कुताराम को वाद में तनकीयात बनवा करके अपनी ओर से साक्ष्य सबूत मौखिक बयान या दस्तावेज या बिल बाउचर स्वयं के द्वारा बयान कर साबित करना था। साथ ही अन्य गवाह जो सहखातेदार या अन्य कोई पड़ौसी मजदूर ट्रेक्टर वाला आदि को पेश कर रेकर्ड पर साक्ष्य पेश किया जाना था, जो नही किया गया, क्योकि वास्तव में मौके पर बंजर जमीन पड़ी है, जिसमें अंग्रेजी बबूल खड़े है, जो पटवारी रिपोर्ट से साबित है। इस प्रकार का प्रतिदावा साबित करने में प्रतिवादी संख्या 1 कुताराम असफल रहा है, और उक्त प्रतिदावे का या इसके वर्णित बिन्दुओं पर उक्त प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज पेश नही किया है। जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नही है। प्रार्थी क्लीन हैड से न्यायालय के समक्ष नही आया है और वादीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से वाद में भी हमेशा प्रार्थना पत्र पेश करता रहा है, जिसकी वजह से यह वाद काफी लम्बा चला है, और अब भी वादीगण को न्याय से वंचित करना चाहता है, जिसका उदाहरण यह है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.218 को वाद का अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है, जिसकी जानकारी प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को दिनांक 30.05.2018 व दिनांक 31.05.2018 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर पूर्ण रूप से हो चुकी थी, उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है, उसके पैरा संख्या 3 में यह स्पष्ट लिखकर स्वीकार किया कि दिनांक 25.06.2018 को प्रार्थी कुताराम द्वारा दिन में खसरा नंबर 3067 में ट्रैक्टर की खड़ाई करवायी थी, उस समय मौके पर विरदाराम आया और उसने ऐतराज पेश किया था, और धमकी भी दी थी। जब प्रार्थी कुताराम व उनके अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की जानकारी हो चुकी थी तथा खसरा नम्बर 3067 विरदाराम के हिस्से में आ चुका था तथा राजस्व रेकर्ड में भी अलग से दर्ज हो चुका है, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी उक्त खसरे की मात्र 20 एयर कृषि भूमि में खड़ाई करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी और कानून वह हाथ में लेकर क्यों खड़ाई की थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी मात्र विरदाराम वगैरा को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में कोई कानूनी कमी निर्णय में हो उस बात का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है और न ही प्रार्थी कुताराम अपने हक हकूकों एवं अधिकारों से वंचित रहा है, उक्त सम्पूर्ण वाद में मात्र प्रार्थी कुताराम द्वारा खसरा नम्बर 3067 पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की है, उक्त खसरे में मात्र 22 एयर कृषि भूमि इसके हिस्से में आती है, जबकि न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, इस निर्णय से प्रार्थी कुताराम द्वारा यदि व्यथित था तो उक्त आदेश की अपील भी कर सकता था, जो नही करके मात्र न्यायालय का समय बर्बाद करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि कुताराम के हिस्से में कुल 19 खसरे व 3.5900 हैक्टर कृषि भूमि आई है, जो एक चक आयी है। जिसमें आने जाने का रास्ता स्थित है, और जो बंटवाड़ा करने में जिन सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए था, उन सभी सिद्धान्तों का पालन विधिवत रूप से न्यायालय द्वारा किया गया है, जिससे प्रार्थी कुताराम को एक पक्षीय कार्यवाही सेटेसाईट करने का कोई औचित्य नही रह जाता है। उक्त निर्णय में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की पूर्ण सहमति है, उक्त निर्णय में सम्पूर्ण खातेदार करीब 11 है, उन 11 में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

उक्त निर्णय में 10 खातेदार पूर्ण रूप से संतुष्ट है, तो एक खातेदार असंतुष्ट होने से कोई मायना नहीं रखता है तथा जो भी प्रार्थी कुताराम द्वारा प्रतिदावा में उज्र उठाया है, जिन्हे साबित करने में वह असफल रहा है तथा न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना हल्का पटवारी द्वारा की जा चुकी है, राजस्व रेकर्ड में सभी के खाते अलग अलग दर्ज किये जा चुके है। इस प्रकार समस्त परिस्थितियों को देखते हुए एवं न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी या विधिक रूप से भूल नही किये जाने से भी प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं होना अंकित करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र को भारी कोष्ट के साथ खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अन्य अप्रार्थीगण की ओर से दिगर अधिवक्तागण का जबाब प्रा0 पत्र पेश करना नहीं चाहने से दिनांक 23.07.2018 को जबाब बन्द किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 एवं दिगर अप्रार्थीगण दिनांक 24.10.2018 को सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि इस वाद में प्राथमिक रूप से वाद डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। बंटवाड़ा प्रस्ताव आया। जिस पर प्रस्तुत आपति, जबाब आपति पेश होने पर बहस सुनी गई। उक्त प्रा0 पत्र 1000/–रूपये कोर्ट स्टाम्प पर स्वीकार किया जाकर पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 30.06.2017 को पेश किया। किन्तु पटवारी व तहसीलदार मौके पर नहीं गये तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं करवाये। ततपश्चात 1 मई, 2018 से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन होकर केम्प शुरू हो गये। आवश्यक सुनवाई होने का कोई प्रा0 पत्र नहीं पेश किया। दिनांक 16.05.2018 को अधिवक्ता प्रार्थी श्री गोरादान बाहर हरिद्वारा चले गये थे, तथा राजस्थान से बाहर थे, तारीख पेशी नोट नहीं करवाई थी तथा कम्पेन में उक्त पेशी दी जाकर दिनांक 23.05.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही कर जबाब आपति बन्द कर वाद उक्त प्राथमिक डिक्री पालना अनुसार वाद गलत रूप से डिक्री कर दिया गया। जिसकी जानकारी दिनांक 30.05.2018 को होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने एक पक्षीय जारी विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस में व्यक्त कथनों एवं प्रा0पत्र में समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत क्रमशः आर0आर0डी0 2010 पेज सं0 505, आर0आर0डी0 2011 पेज सं0 766, 2014(2) आर0आर0टी0 पेज सं0 881, 2014(3) सी0डी0आर0 राज0 पेज नं0 1271, 2015(1) आर0आर0टी0 पेज 125, 2018(1) सी0जे0 (सी0आई0वी0) राज0 पेज नं0 135 व 560 तथा 2018(1) सी0जे0 (सी0आई0वी0) (5सी0)26 पेश किये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जबाब बहस में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा युक्तियुक्त कारणों से परिपूर्ण नहीं होने से खारिज योग्य हैं। विवादित भूमि के 5–6 खातेदार है एवं 40 खसरे है। तथा रकबा 8.9700 हैक्टर की भूमि ही हैं। जिससे विवादग्रस्त जमीन के टुकड़े खूब होंगे प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के पेश प्रार्थना–पत्र में उक्त प्रावधानों से सम्बद्ध ठोस कारणों से युक्त होना आवश्यक है। मात्र अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा 01 मई, 2018 से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन होना, केम्प शुरू हो जाना, आवश्यक सुनवाई होने का कोई प्रा0 पत्र पेश नहीं करना एवं आगे दिनांक 16.05.2018 को अधिवक्ता प्रार्थी श्री गोरादान बाहर हरिद्वारा चले गये थे, तथा राजस्थान से बाहर थे, तारीख पेशी नोट नहीं करवाया जाना तथा कम्पेन में उक्त पेशी दी जाकर दिनांक 23.05.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही कर जबाब आपति बन्द कर वाद उक्त प्राथमिक डिक्री पालना अनुसार वाद गलत रूप से डिक्री कर दिया जाने के तथ्य कपोलकल्पित रूप से बहस में व्यक्त किये हैं। वास्तविक रूप से कॉज लिस्ट एवं पेशी सूचियों में उक्त तारीख पेशियां नियमित रूप से दी जाती रही है। जिससे अप्रार्थी पक्षकार सं0 1 से 3 को बगैर सुने डिक्री पारित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। फलस्वरूप चूंकि उभयपक्षों को पूर्व में मूल वाद में सुना जाकर, प्रस्तुत उज्र आपतियां के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायिक/विधिक प्रक्रियाधीन सुनवाई के पश्चात्

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्रों विनिश्चित किया जाकर वाद डिक्री किया गया है। लिहाजा नियमित सुनवाई तिथि दिनांक 23.05.2018 रखी जाकर उक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 को न्यायालय हाजा द्वारा एक पक्षीय किया जाना नहीं माना जा सकता है। फलतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित आदेश 151 सी0पी0सी0 का खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित आदेश 151 सी0पी0सी0, जबाब अप्रार्थी सं0 1 व 3 दिनांक 23.07.2018 मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 एवं न्यायालय हाजा द्वारा नियमित रूप से दौराने राजस्व लोक अदालत सोजत मुख्यालय पर तहसील क्षेत्र सोजत/कस्बा सोजत की पत्रावलियां दिनांक 16.05.2018, 23.05.2018 एवं आगे की तिथियों में दी गई नियमित पेशियों की काज लिस्टों एवं अन्य समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ध्यान में लाये गये आदेश 09 नियम 13 सपठित आदेश 151 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूल वाद संख्या 111/2012 विरदाराम वगैरह बनाम कुताराम वगैरह में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राथमिक विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज प्रार्थना पत्र वाद विधिक सुनवाई 1000/– रूपये कोस्ट पर दिनांक 09.01.2017 को स्वीकार कर सम्यक पालना हेतु पुनः विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 05.06.2017 को आर0टी0एक्ट0 (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 20 की सम्यक पालना युक्त विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर दिनांक 12.06.2017 को पुनः उक्त नियमों के तहत विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा पालना चाही गई तत्पश्चात दिनांक 17.07.2017 को प्रस्तुत आपति पत्र पेश होने पर जबाब एवं बहस दरख्वास्त मुकर्रर दिनांक 19.07.2017 से लगातार मुकर्रर पेशियों पर विफल रहने से तथा 16.05.2018 व 23.05.2018 को बार–बार आवाजे दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को पर्याप्त सुनवाई के अवसर दिये गये तथा निर्धारित तारीख पेशी पर लम्बे समय से अवसर दिये जाने पर भी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा मात्र दरख्वास्त का जबाब एवं बहस हेतु विफल रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 09 नियम 13 सपठित आदेश 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ठोस कारणों से युक्त नही होनें एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उद्धरण/न्यायिक दृष्टान्त भी उचित चस्पा नहीं होने से खारिज योग्य है। फलस्वरूप सारहीन, आधारहीन एवं चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार वर्णित तथ्य ठोस कारणों से युक्त नही होनें एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 111/2012 विरदाराम वगैरह बनाम कुताराम वगैरह में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के परिपेक्ष में समय–समय पर बाद विधिक सुनवाई निस्तारण कर दिये जाने से एवं अवांछनीय आपति प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। फलस्वरूप सारहीन, आधारहीन एवं चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयुब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अयुब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner